''ओरण बचाओ'' की नारेबाजी के साथ जयपुर में जुटे हजारों लोग

700 किलोमीटर दूर जैसलेमर से जयपुर पहुंचे प्रदर्शनकारी, निर्दलीय विधायक रविन्द्र भाटी भी शामिल हुए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में चारागाह और वन क्षेत्र (ओरण) के संरक्षण को लेकर जयपुर में गुरूवार को बड़ा जनआंदोलन देखने को मिला। सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन से ओरण बचाओ पदयात्रा निकाली गई, जिसमें जैसलमेर सहित प्रदेशभर से सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस यात्रा में करीब 700 किलोमीटर दूर जैसलमेर से लोग शामिल हुए।

यह पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण और ओरण भूमि की सुरक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए निकाली गई, लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो चौमूं पुलिया सर्किल पर बैरिकेड्स लगाकर सभी लोगों को भवानी निकेतन के पास ही रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई।

पदयात्रा में शामिल बाड़मेर जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार पर निशाना साधा। भाटी ने कहा कि जैसलमेर की अंतरराष्ट्रीय सीमा से बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग जयपुर पहुंचे हैं, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में देश के लिए योगदान दिया था, लेकिन आज उन्हें अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए चिंतन का विषय है और ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।

भाटी ने आरोप लगाया कि वर्तमान में ओरण भूमि का बड़ा हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिससे अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट नीति या गाइडलाइन सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा अतिक्रमण के मामलों पर भी सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने खेजड़ी संरक्षण को लेकर प्रस्तावित बिल का जिक्र किया। कहा कि सरकार ने सदन में बिल लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। विश्नोई समाज सहित कई वर्गों ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया, लेकिन सरकार की घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे 21 जनवरी को जैसलमेर के तनोट माता मंदिर से पदयात्रा शुरू कर जयपुर पहुंचे हैं। कडाके की ठंड से लेकर अब भीषण गर्मी तक नंगे पैर यात्रा कर रहे लोगों का कहना है कि वे ओरण, गोचर भूमि, खेजड़ी के पेड़, नदियों, नालों और तालाबों के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

ओरण भूमि संरक्षण की मांग को लेकर जैसलमेर के हजारों युवाओं ने जयपुर में प्रदर्शन किया।

- पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को चौमूं पुलिया सर्किल स्थित भवानी निकेतन कॉलेज के पास रोका, विरोध पर हल्की झड़प भी हुई
- विधायक भाटी ने कहा ''ओरण भूमि का बड़ा हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लोगों को जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है।''

जैसलमेर में ओरण के लिए 3666 हैक्टेयर भूमि आरक्षित

भजनलाल सरकार ने ओरण भूमि संरक्षण के लिए की बड़ी पहल

जयपुर । राज्य सरकार ने जैसलमेर जिले के विभिन्न गांवों में ओरण के लिए कुल 3666.2139 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की है, जिसमें रामगढ़ तहसील के ग्राम दिलावर का गांव में 124.9502 हैक्टेयर, कुछड़ी ग्राम में 1084.8043 हैक्टेयर और पूनमनगर ग्राम में 583.9876 हैक्टेयर, फतेहगढ़ तहसील के ग्राम भीमसर में 952.2752 हैक्टेयर और बींजोता में 96.7716 हैक्टेयरभूमि ओरण क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई है। जैसलमेर तहसील के ग्राम मोकला के तीन खण्डों में क्रमश: 187.364, 256.2511 और 253.4034 हैक्टेयर तथा बीरमा काणोद 126.4065 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त जैसलमेर तहसील के ग्राम मोकला में 1457.4991 हैक्टेयर, नाचना तहसील के ग्राम आसकन्द्रा में 225.03 हैक्टेयर एवं ग्राम दिधू में 229.5067 हैक्टेयर, ग्राम मोहनगढ बारानी/पन्नोधराय में 333.9165 हैक्टेयर क्षेत्रों को भी ओरण के रूप में आरक्षित करने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार जैसलमेर जिले के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए ओरण भूमि के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए है। ज्ञात रहे कि ओरण प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं के कारण स्थानीय लोग इन पवित्र उपवनों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन क्षेत्रों में पेड़ों को काटना या कुल्हाड़ी का उपयोग करना वर्जित है, जिससे यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र स्वत: ही सुरक्षित रहता है। ओरण जो संस्कृत शब्द अरण्य से बना है और जिसका अर्थ बिना छेड़ा हुआ जंगल होता है। यह न केवल हमारी प्राचीन धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है बल्कि मरुस्थलीकरण को रोकने में भी सहायक है। यह पहल न केवल जैसलमेर के पारंपरिक आस्था स्थलों का संवर्धन करेगी बल्कि मरुस्थलीय क्षेत्र में हरियाली और जैव विविधता को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।

कैंसर पीडित पत्नी के पति का तबादला आदेश पर रोक

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कैंसर पीडित पत्नी के स्कूल व्याख्याता पति का तबादला करने पर रोक दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब है। वहीं अदालत ने अपीलार्थी को पूर्व की स्कूल से ही पद का वेतन देने है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश गोपाल सिंह की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते दिए।

55 दिन तक उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटी नवजात

जयपुर। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की एमसीएच विंग में नवजात शिशु देखभाल इकाई ने सुदृढ़ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का सार्थक उदाहरण पेश किया है।

यहां महज 900 ग्राम वजन की गंभीर बीमारियों से जूझ रही नवजात को नया जीवन मिला है। चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ ने इस नवजात का 55 दिनों तक उपचार एवं पूरी देखभाल की, जिससे अब यह बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और आरसीएच निदेशक डॉ. मधु रतेश्वर ने बताया कि उदयपुर के निजी अस्पताल में 19 फरवरी को डेलवास निवासी प्रसूता हेमलता ने सिजेरियन डिलीवरी के जरिए बच्ची को जन्म दिया था। जन्म के समय बच्ची का वजन मात्र 900 ग्राम था और उसकी स्थिति बेहद गंभीर थी।

निजी अस्पताल में महंगे उपचार के कारण बच्ची रैफर होकर चित्तौडगढ़ की एमसीएच विंग में पहुंची। यहां एसएनसीयू विंग में शिशु उपचार के लिए अत्याधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की शिष्टाचार भेंट

राम जल सेतु लिंक परियोजना, जल जीवन मिशन एवं जल प्रबंधन से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली मेंकेंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात की।

उन्होंने राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति,हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रदेश में जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन को लेकर सार्थक चर्चा की।

रोडवेज कर्मचारी निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे

जयपुर । राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन (एटक/एआईटीयूसी) के बैनर तले गुरुवार को रोडवेज मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय विशाल धरना-प्रदर्शन किया गया। इसमें 1000 से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त कामगारों ने भाग लेते हुए रोडवेज बचाओ-रोजगार बचाओ के नारे लगाए। इससे पहले कर्मियों ने जयपुर डिपो से मुख्यालय तक रैली निकालकर विरोध जताया।

धरने को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एम.एल. यादव ने कहा कि एक समय रोडवेज में 25 हजार से अधिक कर्मचारी और 4500 से अधिक बसें थीं, जबकि अब यह संख्या घटकर करीब 10 हजार कर्मचारी और 2580 बसों तक सिमट गई है, जिनमें से 850 बसें अत्यंत पुरानी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारों की उपेक्षा के चलते रोडवेज को धीरे-धीरे निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है।

यादव ने बताया कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण ड्राइवर और कंडक्टर से 12 से 16 घंटे तक काम लिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार 8 घंटे का कार्य निर्धारित है। इसके बावजूद उन्हें ओवरटाइम का भुगतान और साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहा, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है। यूनियन ने 15 हजार रिक्त पदों पर भर्ती और 2500 नई बसों की खरीद की मांग उठाई।

फर्जी डिग्री प्रकरण में ओपीजेएस विवि के चेयरमैन को जमानत नहीं

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री जारी करने से जुडे मामले में ओपीजेएस विश्वविद्यालय के चेयरमैन जोगेंद्र सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की चौथी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी की पूर्व में तीन बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और मामले की गंभीरता के साथ ही कोई नया आधार नहीं होने के कारण उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

जमानत याचिका में कहा गया कि उस पर आरोप है कि उसने विवि के चेयरपर्सन के रूप में फर्जी डिग्रियां जारी की। जबकि ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ, जिससे यह साबित हो कि डिग्री पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा वह साल 2015 में ही विवि प्रबंधन से इस्तीफा दे चुका है।

तब से उसके पास विवि के प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा मामले में सीधे ही विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया है। विशेष अदालत को मामले में प्रसंज्ञान लेने का तब तक अधिकार नहीं है, जब तक मामले को मजिस्ट्रेट की ओर से कमिट नहीं किया जाए। इसलिए उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए एएजी राजेश चौधरी ने कहा कि विवि की डिग्री का उपयोग कर सह आरोपी गणपत लाल पीटीआई भर्ती, 2022 में चयनित हुआ था। इसकी डिग्री जारी करने में याचिकाकर्ता की संलिप्तता रही थी। इसके अलावा गणपत लाल की डिग्री को सही बताते हुए सत्यापन रिपोर्ट भी जारी की गई थी। जिससे स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अन्य स्टाफ सदस्यों से मिलकर फर्जी डिग्रियां जारी की हैं।

इसके अलावा मजिस्ट्रेट की ओर से मामला कमिट नहीं करना सिर्फ प्रक्रियात्मक त्रुटि हो सकती है। इसे जमानत के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का पर्दाफाश

जयपुर। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) पश्चिम ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 पासपोर्ट, 32 मुहरें, मोबाइल फोन और हिसाब-किताब की डायरियां बरामद की हैं। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। डीएसटी इंचार्ज गणेश सैनी के अनुसार झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित शिवशंकर टावर अपार्टमेंट के एक फ्लैट में बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस पर टीम ने बुधवार देर रात फ्लैट पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान फ्लैट में छिपे कुचामन निवासी लोकेंद्र सिंह और विजयपाल सिंह, झुंझुनूं निवासी लोकेश तथा रींगस निवासी गोगराज को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी लोकेंद्र सिंह डीडवाना के मकराना क्षेत्र का वांछित अपराधी है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी 'डायमंड वीजा सर्विस' नाम से फर्जी फर्म चलाकर लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का लालच देते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए लोगों से संपर्क कर उन्हें ड्राइवर, माली, मिस्त्री जैसे काम दिलाने का भरोसा दिलाया जाता था। इसके बाद वीजा और नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते थे। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी में 50 पासपोर्ट, 32 फर्जी मुहरें, 3 मोबाइल फोन और लेन-देन से जुड़ी 5 डायरियां बरामद की हैं, जिनसे बड़े स्तर पर ठगी के नेटवर्क के संकेत मिले हैं। झोटवाड़ा थाना पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस गिरोह ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है और इसके तार अन्य राज्यों तक भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और पीड़ितों की जानकारी जुटाने में लगी है।

आमेर में हाथी सवारी बंद करने की मांग

जयपुर । सेव द एलिफेंट डे के अवसर पर राजधानी के जवाहर सर्किल पर युवाओं और पशु प्रेमियों ने पेंटेड हाथी फोटोशूट और हाथियों के उपयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हाथी मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि संवेदनशील जीव हैं।

कार्यकर्ताओं ने आमेर किले में पर्यटकों के लिए कराई जाने वाली हाथी सवारी पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि हाथियों को कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 'प्रोजेक्ट एलिफेंट' द्वारा भी इस मुद्दे को पहले उठाया जा चुका है। वाइल्डलाइफ कैंपेन मैनेजर शुभोब्रतो घोष ने बताया कि कैद में रखे गए हाथियों में मानसिक तनाव के लक्षण दिखाई देते हैं। हाल के वर्षों में काजीरंगा, त्रिपुरा और उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों में हाथियों से जुड़ी घटनाओं ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान सरकार से मांग की कि आमेर किले में हाथी सवारी को बंद कर हाथियों को सुरक्षित अभयारण्यों में स्थानांतरित किया जाए। गौरतलब है कि विश्व पशु संरक्षण संगठन के अनुसार भारत में 2500 से अधिक हाथी कैद में हैं।

विकसित भारत की आधारशिला बना 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' : डॉ. सौम्या गुर्जर

निवर्तमान महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने महिला उद्यमियों के साथ चाय पर चर्चा की।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। देश में लागू होने जा रहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर निवर्तमान महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने उद्यमी महिलाओं के साथ ''चाय पर चर्चा'' की। कार्यक्रम में डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने इसे महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्यमी महिलाओं की सहभागिता रही, जहां महिलाओं ने खुलकर अपने विचार साझा किए और अधिनियम से जुड़ी जानकारी प्राप्त की।

डॉ. गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाया है। 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को लोकतंत्र में मजबूत भागीदारी प्रदान करेगा, जिससे शासन व्यवस्था में संतुलन और समावेशिता आएगी। इस दौरान निवर्तमान महापौर सहित सभी महिलाओं ने संसद में चल रहे विशेष सत्र में चल रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण को सुना।

डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को नीति-निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल महिलाओं की आवाज मजबूत होगी, बल्कि उनके दृष्टिकोण से समाज के विभिन्न मुद्दों का बेहतर समाधान भी संभव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिला नेतृत्व के बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में अधिक संवेदनशील और प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान उद्यमी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। कई महिलाओं ने कहा कि अब वे न केवल अपने व्यवसाय में, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी। महिलाओं ने 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

- निवर्तमान महापौर ने उद्यमी महिलाओं के साथ 'चाय पर चर्चा' की, 33 प्रतिशत आरक्षण पर जताई खुशी
- एक स्वर में बोली महिला उद्यमी ''महिलाओं के सशक्तिकरण से ही होगा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास''

अनियंत्रित कार रैलिंग पर चढ़ी

जयपुर । राजधानी के गांधी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए रेलिंग पर चढ़ गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के अनुसार घटना सुबह गांधी नगर मोड़ पर हुई। तेज गति से आ रही कार अचानक असंतुलित हो गई।

2200 करोड़ रु. की जमीन पर कब्जा लेने गई हाऊसिंग बोर्ड टीम पर पथराव

बी-2 बाईपास से द्रव्यवती नदी तक 42 बीघा अवाप्तशुदा जमीन पर कब्जा लेने गई थी टीम

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । बीटू बाइपास से द्रव्यवती नदी तक 2200 करोड रुपए की 42 बीघा जमीन पर गुरुवार को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की टीम कब्जा लेने गई थी। कब्जाधारियों ने हाउसिंग बोर्ड टीम का विरोध किया और जेसीबी पर पत्थर फेंके। पथराव में किसी को चोट नहीं आई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उप-आवासन आयुक्त संजय शर्मा के नेतृत्व में टीम गुरुवार को दोपहर 3 बजे मौके पर जेसीबी मशीन लेकर पहुंची थी। यहां जेसीबी मशीन से जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल, कोठरियां और अन्य अतिक्रमणों के निर्माण को तोडऩा शुरू किया तो वहां रहने वाले कुछ लोगों ने विरोध जताया और हंगामा कर दिया। इस बीच वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने जेसीबी पर कुछ पत्थर फेंक दिए। इससे घबराए हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों ने कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक दी।

उप-आवासन आयुक्त संजय शर्मा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड की टीम पर पथराव जैसा कुछ नहीं हुआ। किसी को कोई चोट नहीं आई है। टीम ने कार्रवाई कर करीब 20 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाकर अपने कब्जे में ले लिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।

बीटू बाइपास चौराहे से द्रव्यवती नदी तक 42 बीघा से ज्यादा जमीन की हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने वर्ष 1989 में अवाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 1991 में प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन तब कब्जा नहीं लिया गया। इस बीच जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति के पट्टे के आधार पर कॉलोनी बसा दी और भूखंड का बेचान दिखा दिया। ये बेचान वर्ष 1981 में जमीन खरीद के आधार पर बताया गया। बताया जा रहा है कि इसमें कई बड़े रसूखात लोगों को भूखंड कौडिय़ों के दाम बेचे गए।

वर्ष 2019 में कॉलोनी के नियमन को लेकर जेडीए ने एनओसी मांगी, लेकिन आवासन मंडल के तत्कालीन आयुक्त ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। मंडल ने तर्क दिया कि जब जमीन पर 50 फीसदी निर्माण ही नहीं है तो नियमन क्यों किया जा रहा है? सोसाइटी के खिलाफ एफआई भी दर्ज करवाई गई।

मामला एसीबी को भेज दिया गया। ग्राम चैनपुरा एवं दुर्गापुरा की 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति ने सदस्यों के पक्ष में नियमितीकरण की प्रक्रिया जेडीए में प्रारंभ कर दी थी।

वर्ष 2019 में हाउसिंग बोर्ड भी जेडीए को इसके नियमितीकरण के लिए एनओसी देने की तैयारी में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 भूखंडधारियों के मामले में यह निर्देश दिया था कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा सिविल न्यायालय में जमा कराई गई मुआवजा राशि बोर्ड को वापस लौटा दी जाए।

तब पवन अरोड़ा ने हाउसिंग बोर्ड आयुक्त की जिम्मेदारी संभालते प्रकरण की जांच कर एनओसी रोक दी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण (अवाप्ति) को निरस्त नहीं किया था। इस आधार पर रिट याचिका भी दायर की गई।

गौरतलब है कि बी-2 बाइपास स्थित श्रीराम कॉलोनी से जुड़ी विवादित करीब 42 बीघा जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने हाल ही में हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने जेडीए की ओर से 29 मई 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और इसके बाद के आदेशों को अवैध माना है।

31 जुलाई 1981 के समझौता विक्रय को भी अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। जस्टिस गणेश राम मीणा ने बोर्ड की याचिका मंजूर कर निजी पक्ष की 3 याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि संबंधित भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई बोर्ड के पक्ष में पूर्ण मानी जाएगी। समझौता विक्रय से स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता। धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश, भले वह अंतिम रूप ले चुका हो, वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि 12 फरवरी 2002 को एकलपीठ से गलत तथ्यों के आधार पर आदेश प्राप्त किया गया था, इसलिए रद्द किया जाता है।

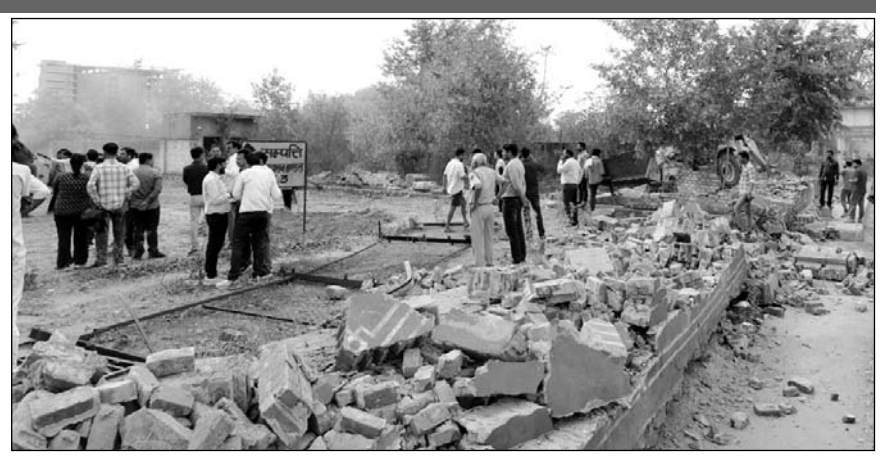

अवाप्तशुदा जमीन पर कब्जा लेने पहुंची हाऊसिंग बोर्ड की टीम को विरोध झेलना पड़ा।

- मौके पर काबिज लोगों ने हाऊसिंग बोर्ड के अफसरों का विरोध करते हुए जेसीबी पर पत्थर फेंके
- राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी